Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 24/2022

Suman Khatoon.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	12.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–569, दिनांक–12.05.2022 एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्राणपुर के ज्ञापांक–323, दिनांक–19.05.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है। आवेदिका को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम+पंचायत–सहजा, वार्ड सं0–05, जिला–कटिहार परियोजना अंतर्गत सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदिका एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया था। दिनांक–23.11.2017 को आयोजित आम सभा में विधिवत आवेदिका का चयन सेविका पद पर करते हुए चयन पत्र निर्गत किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने केन्द्र सं0–139 का नियमित एवं निष्ठापूर्वक संचालन करने लगी। इनके विरूद्ध अबतक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुआ है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–569, दिनांक–12.05.2022 एवं मार्गदर्शिका, 2016 के कंडिका 11 के आलोक में गलत/फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पाये जाने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्राणपुर ने ज्ञापांक–323, दिनांक–19.05.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से इन्हें चयन मुक्त कर दिया गया। आवेदिका बोर्ड ऑफ हायर सेकेन्ड्री एजुकेशन, दिल्ली से मैट्रिक उत्तीर्ण है जो परिपत्र सं0–F–46–1/6854 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है एवं	

Web Copy, Not Official.

		गर्वनमेंट ऑफ दिल्ली निबंधन सं0–1135 से भी दर्ज है। यह क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 12.04.2023	प्रमाण पत्र भारतीय न्यास अधिनियम 1882 अंतर्गत स्थापित तथा भारतीय रजिस्ट्रीकरण 1908 के अंतर्गत रजिस्टर्ड (भारत सरकार एवं राज्य सरकार) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा इनके प्रमाण पत्र को फर्जी बताना सर्वथा निराधार है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। इन्हें दिनांक–23.11.2017 को आयोजित आम सभा में शैक्षणित प्रमाण पत्रों की जाँचोपरांत चयन पत्र निर्गत किया गया है जबकि आम सभा कार्यवाही पंजी में कोई आपत्ति उल्लेखित नहीं है। इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र को गलत एवं फर्जी के आधार पर चयन मुक्त करने के पूर्व निम्न न्यायालय को इनके पक्ष की सुनवाई की जानी चाहिए थी। चयन मुक्ति आदेश में इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के फर्जी होने का न तो कोई उल्लेख है और न ही दस्तावेजीय साक्ष्य संलग्न है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र को फर्जी बताना सर्वथा निराधार है। आवेदिका अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की पुष्टि हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–153/2013 में पारित आदेश दिनांक–24.01.2013 में बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, दिल्ली की संस्था को मान्यता प्राप्त होने का उल्लेख है। जिसके आधार पर कटिहार जिला के अंतर्गत बरारी प्रखंड में पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत है। इतना ही नहीं उक्त न्यायादेश के आधार पर बाल विकास परियोजना, कुर्सेला, जिला–कटिहार के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–56 में रंजू देवी पति–नरेश मंडल वर्त्तमान में सेविका पद पर कार्यरत है। निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों की अनदेखी करते हुए निराधार आदेश पारित किया गया। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख	

Web Copy, Not Official.

	लगातार 12.04.2023	में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका चयन की प्रक्रिया 2017 में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका क्रमशः 2016 के प्रावधानानुसार शुरू की गई थी। मार्गदर्शिका 2016 के अनुसार चयन प्रक्रिया में अपील की सुनवाई जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता के स्तर से की जानी है तथा उनका आदेश अंतिम आदेश माना जायेगा। उक्त के आधार पर प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में वाद दायर कर सकते है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.